



2026:AHC-LKO:7090

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 45/2026

मो. अखलाक

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व एवं 4 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – मोहम्मद इमरान

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पंकज गुप्ता

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद इमरान और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
- जनहित में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 2 और 3 को ग्राम- सिंगरिया पुरे वली दीन का पुरवा, मजरा- परसपुर, तहसील- करनैलगंज, जिला-गोंडा में स्थित सार्वजनिक उपयोगिता भूमि गाटा संख्या 61-स, क्षेत्रफल 0.0200 हेक्टेयर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
- तहसीलदार- कुंडा, जिला-प्रतापगढ़ द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने बताया कि मौके पर निरीक्षण किया गया और पाया गया कि संबंधित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख में दर्ज की गई है।
- उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत, इस याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

30 जनवरी, 2026

राम

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।